

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ  
पीठासीन अधिकारी सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 17/2021

उन्वान

1. जगदीश पुत्र श्री भवाना लुहार नि. बरडौद तह हमीरगढ।
2. भवर पुत्र श्री भवाना लुहार नि. बरडौद तह हमीरगढ।
3. रतना पुत्र श्री भवाना लुहार नि. बरडौद तह हमीरगढ।
4. श्रीमती छाउ पत्नी श्री भवाना लुहार नि. बरडौद तह हमीरगढ।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. बालू पुत्र श्री चतुर्भज गाडरी नि. बरडौद तह हमीरगढ।
2. नारायण पुत्र श्री चतुर्भज गाडरी नि. बरडौद तह हमीरगढ।
3. भेरू पुत्र श्री चतुर्भज गाडरी नि. बरडौद तह हमीरगढ।
4. चांदी पत्नी श्री चतुर्भज गाडरी नि. बरडौद तह हमीरगढ।
5. श्रीमती सोहनी पत्नी स्व0 श्री गोवर्धन गाडरी नि. बरडौद तह हमीरगढ।
6. जोधा पुत्र श्री बरदा गाडरी नि. बरडौद तह हमीरगढ।
7. श्रीमती निधी पत्नि श्री प्रेम सागर गोयल नि. बरडौद तह हमीरगढ।
8. भोना पुत्र श्री गुलाब गाडरी नि. बरडौद तह हमीरगढ।
9. माना पुत्र श्री गुलाब गाडरी नि. बरडौद तह हमीरगढ।
10. श्रीमती नन्दू पत्नी श्री भवाना जाट नि. बरडौद तह हमीरगढ।
11. नारायण पुत्र श्री भवाना जाट नि. बरडौद तह हमीरगढ।
12. भोलू पुत्र श्री हेमा जाट नि. बरडौद तह हमीरगढ।
13. श्रीमती सायरी पत्नी श्री कालू जाट नि. बरडौद तह हमीरगढ।
14. श्रतना पुत्र श्री गंगाराम नि. बरडौद तह हमीरगढ।
15. शंकर पुत्र श्री गोवर्धन गाडरी नि. बरडौद तह हमीरगढ।
16. मंगू पुत्र श्री गंगाराम गाडरी नि. बरडौद तह हमीरगढ।
17. उदा पुत्र श्री गोवर्धन गाडरी नि. बरडौद तह हमीरगढ।
18. उंकार पुत्र श्री जग्गू दरोगा नि. बरडौद तह हमीरगढ।
19. देवीलाल पुत्र जग्गू दरोगा नि. बरडौद तह हमीरगढ।
20. बंशी लाल पुत्र श्री जग्गू दरोगा नि. बरडौद तह हमीरगढ।
21. गणपत पुत्र श्री जग्गू दरोगा नि. बरडौद तह हमीरगढ।
22. गणपत पुत्र श्री जग्गू दरोगा नि. बरडौद तह हमीरगढ।
23. श्रीमती नर्बदा पत्नी जग्गू दरोगा नि. बरडौद तह हमीरगढ।
24. श्रीमती कैलाश कंवर पत्नी श्री कुन्दन सिंह राजपूत नि. बरडौद तह हमीरगढ।
25. श्रीमती शशि हिरण पत्नी श्री रामलाल हिरण नि. वी-282 तरणताल के पास आर.के. कॉलोनी भीलवाडा(राज.)
26. मेघा पुत्री श्री रामलाल हिरण नि. वी-282 तरणताल के पास आर.के.कॉलोनी भीलवाडा(राज.)
27. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
निर्णय दिनांक 19.05.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 03.03.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बरडौद पटवार हल्का बरडौद भूअ.नि. बरडौद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 310 की कृषि भूमि की आ0न0 1692 रकबा 0.2782 है0, आ0न0 1693 रकबा 0.2782 है0, आ0न0 1694 रकबा 0.2908 है0, आ0न0 1697 रकबा 0.7713 है0, आ0न 1699 रकबा 0.0506 है0, आ0न0 2805/1691 रकबा 0.7334 है0, कुल किता 06 रकबा 2.4025 है0 भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीय के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।


उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ (राज.)

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 03/03/2021 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 26 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नहीं है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम बरडौद पटवार हल्का बरडौद भू.अ.नि. बरडौद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 310 की कृषि भूमि की आ0न0 1692 रकबा 0.2782 है0, आ0न0 1693 रकबा 0.2782 है0, आ0न0 1694 रकबा 0.2908 है0, आ0न0 1697 रकबा 0.7713 है0, आ0न 1699 रकबा 0.0506 है0, आ0न0 2805/1691 रकबा 0.7334 है0, कुल किता 06 रकबा 2.4025 है0 जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 900/- रु0 पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/- रु0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित 19/05/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फौसल शुमार होकर दाखिल दफतर रहे।

  
(अशुल आमेरिया)  
उपसुपुड अधिकारी  
हमीरगढ